संख्या-590/52-4-2010-1(3)/96

श्री बी0एम0मीना
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 30 जून 2010

विषय: अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किये जाने के **सम्बन्ध** ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 429/52-4-98-33/98 दिनांक 31-10-1998(सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न)की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश मे मुस्लिम ,सिख,ईसाई,बौद्ध व पारसी समुदाय जो अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त सूचना संख्या: 440/52-4-03-1(3)/96 दिनांक: 29 मार्च, 2003 द्वारा उ0प्र0 के मूल निवासी, जैन को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया शासन द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एव जैन) के व्यक्तियों के लिए अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओ का लाभ पहुचाने के लिए संलग्न प्रपत्र में प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु संबधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करे।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(बी0एम0मीना)
प्रमुख सचिव।

संख्या: (1)/52-4-2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0,लखनऊ।
2- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ।
3- सर्वे कमिश्नर, वक्फ उ0प्र0 लखनऊ।
4- सचिव, उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग लखनऊ।
5- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1/2/3.

आज्ञा से

(मुहम्मद अखलाक आई0)
उपसचिव।